



Dr. Shabnam Ara (Assistant Professor, Department of Geography) and Dr. Gulshan Akhtar (Assistant Professor, Department of Economics) Hamidia Girl's Degree College, University of Allahabad have jointly organised online One Day National Workshop on "Cyber Crime and Cyber Security" , 18 September, 2021. In compliance with the UGC letter D.O.F. No. 1-5/2021(e-Gov) dated 19-02-2021, requesting Higher Education Institutions to strengthen cyber security and to tackle the unforeseen challenges of cyber crime and develop an ecosystem for cyber security in HEIs. The workshop was started at 11 AM and ended at 2:00 PM. It is started with Hamd followed by welcome speech of Dr. Yusufa Nafees (principal). The introduction of the theme and objective of workshop is given by Dr. Sabiha Azmi, (Director of IQAC & WS, HGDC). The first speaker Dr. Mansaf Alam, JMI, New Delhi, provided very deep knowledge in lucid manner on cyber crime and the second speaker Dr. Kiran Chaudhary has talked on Cyber Security Act in India. The workshop is conducted by Dr. Shabnam Ara and concluded by Dr. Gulshan Akhtar. There were more than 100 participant actively participated and benefited.

डॉ. शबनम आरा, सहायक प्रोफेसर, भूगोल विभाग और डॉ. गुलशन अख्तर, सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से "साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा" पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 18 सितंबर, 2021 को किया। यूजीसी के पत्र D.O.F. No. 1-5/2021(e-Gov) दिनांक 19-02-2021 के अनुपालन में, उच्च शिक्षा संस्थानों से साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और साइबर अपराध की अप्रत्याशित चुनौतियों से निपटने और एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का अनुरोध करते हुए HEIs में साइबर सुरक्षा के लिए कार्यशाला सुबह 11:00 बजे शुरू हुई और अपराहन 2:00 बजे समाप्त हुई। इसकी शुरुआत हम्द से हुई। प्राचार्या डॉ. युसूफा नफीस जी ने स्वागत किया। कार्यशाला के विषय का परिचय एवं उद्देश्य डॉ. सबिहा आजमी (निर्देशिका IQAC & WS, HGDC) ने दिया। प्रथम वक्ता डॉ. मनसफ आलम, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली ने साइबर अपराध पर स्पष्ट रूप से बहुत गहन ज्ञान प्रदान किया तथा द्वितीय वक्ता डॉ. किरण चौधरी ने भारत में साइबर सुरक्षा अधिनियम पर बात की। कार्यशाला का संचालन डॉ. शबनम आरा ने किया और समापन डॉ. गुलशन अख्तर ने किया। इसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और लाभान्वित हुए।